परसाराम आदि - मदनलाल आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.5.24	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20.5.24 को पेश हों	मु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर (seal)
20.5.24	पत्रावली प्रस्तुत अधिवक्ता संघ के [illegible] न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20.6.24 को पेश हो।	
20.6.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 3.7.24 को पेश हो [signature]	मु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
3.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 16.7.24 को पेश हो [signature]	मु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 23.7.24 को पेश हो [signature]	मु-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.7.24	पत्रावली पेश। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14.8.24 को पेश हो [signature] मु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
14.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] मु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 89/2022

1 परमाराम दत्तक पुत्र गीदाराम उम्र 73 साल जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मदनलाल पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर राज.।
2 गोपाल पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर राज.।
3 उप पंजीयक सीकर।
4 तहसीलदार तहसील सीकर।
5 कमली पुत्री स्व. मोटाराम जाति जाट निवासी नानी तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील निर्णय विरूद्ध सुश्री गरिमा लाटा आरएएस उपखण्ड अधिकारी सीकर उनवानी आवेदन मदनलाल बनाम परमाराम आदि आवेदन संख्या 137/2014 निर्णय दिनांक 22.08.2022 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भगवान सिंह धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपत लाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—14.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 137/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 643, 644, 645, 646, 1258/647 वाके ग्राम नानी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में उल्लेखित तथ्यों के निर्णय किये जाने में भारी भूल की है इसी प्रकार सुविधा संतुलन अपीलान्ट अप्रार्थी 2/3 का खातेदार काश्तकार होने से उक्त भूमि वैध कानूनी मालिक होने से उपयोग उपभोग किये जाने से उसमें अपीलान्ट अप्रार्थी के लिए सुविधा जनक है तथा इसीलिए अपीलान्ट अप्रार्थी 2/3 भूमि का खातेदार काश्तकार काविज वैध मालिक होने से अपीलान्ट को अपनी वैध सम्पति को उपयोग उपभोग में लेने, विकय करने, से रोके जोन के कारण असुविधा अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 1 को अधिक होगी, प्रथमतः रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय में चलने योग्य नहीं है फिर भी वाद का सुनवाई कर निर्णय किया जाता है तो वादी को कानूनन कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि विधि में ऐसा कोई प्रावधन नहीं है कि अकेला पुत्र गोद नहीं जा सकता है तथा न ही किसी विधि द्वारा गोद पुत्र दोनों जगह की सम्पति प्राप्त नही कर सकने से वंचित किया गया है, इसीलिए विधि विरूद्ध रेस्पोडेन्ट प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष न्यायालय कानूनन न दिये जाने में सक्षम न होने से वाद वादी खारिज होने योग्य है, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के पक्ष में वाद चलने योग्य न होने से न तो उसके पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला वनता है तथा न उसको किसी की असुविधा हो रही है तथा खातेदार काश्तकार साबित न होने से किसी प्रकार की क्षति होने वाली है वल्कि अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि का 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने से विधि अनुसार तथा अपने सवैधानिक अधिकार के तहत अकेला पत्र गोद नहीं जा सकता है का निर्धारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न होने के कारण रेस्पोडेन्ट प्रार्थी वाद व आवेदन चल ने योग्य न होने के कारण रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला साबित वाद चलने योग्य न होने के बावजूद मानने में भारी कानूनी भूल कर अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 2 के नाम चली आ रही कृषि भूमि 2/3 को विवादित मानकर उक्त भूमि को ता फैसला दावा विकित किये जाने किये जाने से प्रतिबंधित किये जाने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद व आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 1, 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चला आ रहा है, उक्त 2/3 हिस्सा अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 1 को गीधा के नाम चली आ रही खातेदारी व जीवणराम के नाम चली आ रही खातोरी भूमि प्राप्त हुई, उक्त दोनों खातेदार वैध खातेदार थे, जिनका वैध वारिस अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 1 होने के कारण अपीलान्ट को प्राप्त हुई है, जिसको चुनौती विचारण न्यायालय दो आधारों पर दिया जाना निर्णय में उल्लेखित किया है ' कि एक पुत्र ही पुत्र होने पर वह गोद नहीं जा सकता है ओर दूसरा क्या गौद पुत्र दोनों जगह सम्पति प्राप्त नही कर सकता' उक्त

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दोनों बिन्दू का निर्णय काश्तकारी अधिनियम के तय नहीं किया जा सकता तथा न ही उक्त बिन्दू का राजस्व न्यायालय निर्धारण किया जाकर खातेदार अधिकार प्रदान किये जा सकते है। विधि में प्रतिवादी के विरूद्ध ही प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम चलने का कोई प्रावधान न होने से उसी प्रकार अप्रार्थी का काउन्टर आवेदन अप्रार्थी के विरूद्ध ही न चलने के बावजूद विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर आवेदन न चलने योग्य होने के बावजूद स्वीकार किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। जिसके कारण विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 जीवण संख्या 1 जीवण का जायन्दा पुत्र था जो गीधा के गोद चला गया था। इसकी मृत्यु क पश्चात उसके हिस्से की भूमि का विरासतन नामान्तकरण उसके पक्ष में दर्ज हो गया। जीवण जो कि परमाराम का जायन्दा पिता था के एक पुत्र परमाराम व एक पुत्री लच्छी थी। जीवण की मृत्यु के बाद उसके विरासत का नामान्तकरण भी लच्छी के नाम से नही होकर उसके जायन्दा पुत्र परमाराम के नाम से ही दर्ज किया गया है। लच्छी देवी द्वारा भी एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसके द्वारा जीवण के वैध वारिसान होना बताया है तथा उसकी सहमति से परमाराम के नाम नामान्तकण दर्ज होना बताया है। प्रार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जीवणराम की भूमि में से स्वयं को व शेष प्रतिवादीगण को वारिस मानते हुये उद्घोषणा का दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो बाद में संसोधित आवेदन पेश कर गीदा की भूमि में से हिस्सा चाहा गया है। प्रस्तुत आवेदन में दो तथ्य मुख्य प्रकार से निकल कर आये है कि क्या एक ही पुत्र होने पर वह गोद नही जा सकता है और दूसरा क्यो गोद पुत्र दोनों जगह सम्पति प्राप्त नहीं कर सकता है। दोनों ही तथ्यों का अंतिम निस्तारण मूलवाद में ही किया जाना संभव है। जब तक इन तथ्यों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का अंतिम निस्तारण साक्ष्य सबूत व कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं हो जाता है विवादित भूमियों को यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विकय किया जाता है तो वाद में वाद बाहुलता बढेगी क्योंकि परमाराम विवादित भूमियों में 2/3 हिस्से अर्थात 123 हिस्सा गीदा का एवं 1/3 हिस्सा जीवण का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 जीवण का जायन्दा पुत्र था जो गीधा के गोद चला गया था। इसकी मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की भूमि का विरासतन नामान्तकरण उसके पक्ष में दर्ज हो गया। जीवण जो कि परमाराम का जायन्दा पिता था के एक पुत्र परमाराम व एक पुत्री लच्छी थी। जीवण की मृत्यु के बाद उसके विरासत का नामान्तकरण भी लच्छी के नाम से नही होकर उसके जायन्दा पुत्र परमाराम के नाम से ही दर्ज किया गया है। लच्छी देवी द्वारा भी एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसके द्वारा जीवण के वैध वारिसान होना बताया है तथा उसकी सहमति से परमाराम के नाम नामान्तकण दर्ज होना बताया है। प्रार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जीवणराम की भूमि में से स्वयं को व शेष प्रतिवादीगण को वारिस मानते हुये उद्घोषणा का दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो बाद में संसोधित आवेदन पेश कर गीदा की भूमि में से हिस्सा चाहा गया है। प्रस्तुत आवेदन में दो तथ्य मुख्य प्रकार से निकल कर आये है कि क्या एक ही पुत्र होने पर वह गोद नही जा सकता है और दूसरा क्यो गोद पुत्र दोनों जगह सम्पति प्राप्त नहीं कर सकता है। दोनों ही तथ्यों का अंतिम निस्तारण मूलवाद में ही किया जाना संभव है। जब तक इन तथ्यों का अंतिम निस्तारण साक्ष्य सबूत व कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं हो जाता है विवादित भूमियों को यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विकय किया जाता है तो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वाद में वाद बाहुलता बढेगी क्योंकि परमाराम विवादित भूमियों में 2/3 हिस्से अर्थात 123 हिस्सा गीदा का एवं 1/3 हिस्सा जीवण का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर